

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।
पत्रांक 1522/14-1 बिजनौर, दिनांक, नवम्बर, 10, 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद उ०प्र०।

विषय:- बिजनौर-नूरपुर-छजलेट मार्ग (एन०एच०-76) किमी० 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 27.23 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों की पातन अनुमति के संबंध में।।

संदर्भ:- पर्यावरण, एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०6/90/2016/एफ०सी०/341 दिनांक 20-10-2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गई आपत्ति का निराकरण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :-

observe No.	Observation of GOI	Reply
1.	The proposal has been submitted without index and page number. The proposal papers have been submitted in a haphazard manner.	विषय सूची बनाकर, सम्पूर्ण पत्रावली की पुनः सही तरीके से पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है।
2.	The kml file uploaded for proposed forest land diversion with the online proposal is not opening on Google earth platform.	के०एम०एल० फाईल से संबंधित सी०डी० पत्रावली में संलग्न कर दी गई। (पत्रावली के बायीं ओर संलग्न है)
3.	The topo sheet showing location of proposed forest land diversion is without index and legend.	टोपी शीट पर इन्डेक्स एवं लीजेण्ड अंकित कर दिया गया है। (पृष्ठ संख्या 30 पर संलग्न है)
4.	The geo referenced map uploaded with the proposal does not provided geo coordinates of key points.	जियो रेफ्रेन्स मैप में अंकित कमांक के द्वारा जियो कोर्डिनेट जियो रेफ्रेन्स मैप के दायीं ओर कमांक से दर्शाये गये है। (पृष्ठ संख्या 31 पर संलग्न है)
5.	The cost benefit analysis as per MOEF guidelines suffer from lot of discrepancy and inconsistencies. The same need revision.	Cost benefit analysis MOEF द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के आधार पर पुनः बनाकर संलग्न कर दिया गया है। (पृष्ठ संख्या 68-70 पर संलग्न है)
6.	The proposal has been submitted without detailed land schedule showing width to ROW, requirement of protected forest width, balance width of PF etc chainage wise as well as on RHS and LHS. Due to absence of details. It is difficult to ascertain exact requirement of forest land for proposal.	अवशेष संरक्षित वन भूमि की सारांश, चैनेज वार एवं साईडवार बनाकर संलग्न कर दिया गया है। (पृष्ठ संख्या 63 पर संलग्न है)

7.	The information provided in Sr. no. 8(i) of part II of the proposal is irrelevant.	संशोधित कर दिया गया है। (पृष्ठ संख्या 13 पर संलग्न है)
8.	The information provided for employment generation in part I (Online) on page no 20 are at variance.	संशोधित कर दिया गया है। (पृष्ठ संख्या 07 पर संलग्न है)
9.	The site inspection report at page no. 48 mentions about existence of rare/endangered / unique species of flora and fauna but the details have not been provided with the proposal. Comments of Chief Wild Life Warden are also required.	साइट इन्सपेक्शन रिपोर्ट पुनः संशोधन कर संलग्न कर दी गई है। (पृष्ठ संख्या 58 पर संलग्न है)
10.	The district/division profile on page 49 and online part II are at variance.	आफलाइन में संशोधित कर दिया गया है। (पृष्ठ संख्या 22 पर संलग्न है)
11.	The information regarding cost of CA proposed at 13 (i) is incorrect.	क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि को आनलाइन संशोधित कर दिया गया है। (पृष्ठ संख्या 13 पर संलग्न है)
12.	The compensatory afforestation scheme has been prepared without incorporating provision for cost escalation.	क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित प्रावर्कन को नोडल अधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित मानकों के आधार पर संशोधित कर संलग्न कर दिये गये है। (पृष्ठ संख्या 37 से 46 पर संलग्न है)
13.	The information given against column no. 12 of part -2 appears to be wrong.	संशोधित कर, संलग्न कर दी गई है। (पृष्ठ संख्या 13 पर संलग्न है)-
14.	The site inspection report of DFO shows that the forest involved are RF/unclassified/protected forest but the details given in the proposal does not match with this. Further, there is no specific recommendation in the site inspection report.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर द्वारा संस्तुति कर संलग्न की जा रही है। (पृष्ठ संख्या 63 पर संलग्न है)
15.	The area involved is more than 40 ha. But inspection report of CF has not been attached.	

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया जा रहा है कृपया प्रकरण मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को प्रस्तुत करने की कृपा करें।

संलग्नक:-प्रस्ताव की तीन प्रतियां।

भवदीय

(एम० सेमरन)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

बिजनौर

पत्रांक / 14-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बिजनौर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

✓
(एम० सेम्मारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।